फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

रामेश्वर बनाम जयराम वगै0

–77 / 2024

क आज्ञा ार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थीगण अनु0। अप्रार्थीगणों को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व वकील प्रार्थी की बहस का मनन करने पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम गुवारडी, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवरामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 267 रकबा 0.0300 है0, भूमि में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ (ललित मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	